महत्वपूर्ण एवं खास

18 सक्रिय नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। लोन वर्राटू अभियान के तहत अलग-अलग इलाकों में सक्रिय 18 नक्सलियों ने बुधवार को आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों ने एसपी गौरव रॉय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि ये सभी भैरमगढ़ और मलांगेर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। बता दें कि पुलिस की अपील का माओवादियों पर व्यापक असर हो रहा है और हिंसा की राह छोडक़र नक्सली लोकतंत्र और सविंधान में विश्वास जताते हुए आत्मसमर्पण कर रहे है। इसे के तहत लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 18 माओवादियों ने बुधवार एसपी गौरव रॉय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादी भैरमगढ़ और मलांगेर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। ये सभी माओवादी नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल थे। बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 177 इनामी माओवादी समेत कुल 738 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

एनएच पर नशेड़ी चालक की गाड़ी पलटी

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)। भिलाई नेहरू नगर से राजनांदगांव के लिए जाने वाले एनएच-53 बाईपास पर एक कार 120 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पलट गई। कार का ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। अचानक बैलेंस बिगडऩे से कार कई बार पलटी और उसके परखच्चे उड़ गए। मोहन नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्घटना मोहन नगर थाना अंतर्गत एनएच 53 पर डीमार्ट के पास हुई। यहां एक एसयूवी कार सीजी 07 सीएच 4244 मंगलवार रात 9 बजे के करीब काफी तेज रफ्तार से आई। कार को दीपक महतो (22) नाम का युवक चला रहा था। कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि उपवन रेस्टोरेंट के थोड़ा आगे जाकर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो मोड़ पर दो साइन बोर्ड को तोड़ते हुए कई बार पलटी खाती चली गई।

चापड़ लेकर कॉलेज पहुंचा छात्र गिरफ्तार

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। बिलासपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में चापड़ लेकर एक दूसरे छात्र को डमकाने वाले आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी मिलते ही पुलिस कॉलेज पहुंच गई और हथियार (लोहे का चापड़) बरामद कर छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में कुछ दिनों पहले आग लग गई थी, जिसे लेकर छात्रों के दो गुटों में विवाद चल रहा है। छात्र एक-दूसरे पर आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके चलते उनके बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। मंगलवार की दोपहर पुलिस को जानकारी मिली कि एक छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में धारदार हथियार लेकर पहुंच गया है और छात्रों को धमका रहा है। खबर मिलते ही पुलिस कॉलेज पहुंची और रायपुर जिले के तिल्दा थाना क्षेत्र के कुटरु राम मंदिर के पास रहने वाले सृजन मिश्रा (20) को पकड़ लिया। उससे हथियार बरामद कर उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

अवैध शराब बेचने वाला गिरफ्तार, 30 पौवा देशी शराब जब्त

राजनांदगांव (आरएनएस)। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा राजनांदगांव एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले मे चलाये जा रहे अभियान में अवैध शराब बिक्री करने वालो के ऊपर कार्यवाही के तहत बुधवार को चौकी स्टाफ के टीम बना कर अभियान के दौरान मुखबीर से मिली सूचना पर आरोपी यशवंत सिन्हा पिता स्व. किशोर सिन्हा उम्र 38 साल साकिन ग्राम गठुला पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव को शराब बिक्री करते हुए प्लास्टिक बोरी मे 30 पौवा देशी प्लेन शराब को जप्त किया गया। मामले में आरोपी के विरुद्ध 34(2)आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायालय समक्ष पेश किया गया।

बघवा तालाब में बनेगा पाथवे और उद्यान, बरसात से पहले तालाब गहरीकरण का कार्य जारी

रायपुर (आरएनएस)। रायपुरा स्थित बघवा तालाब का बरसात से पहले गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। यहां तालाब के चारों और पाथवे के साथ ही उद्यान भी बनाया जाएगा। निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर निगम की टीम द्वारा यहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर रही है। आज वहां कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा तथा उप अभियंता अर्जिता दीवान ने वहां जाकर कार्य कर रहे लोगों को दिशा निर्देश दिए। शर्मा ने बताया कि इस तालाब की गहरीकरण के साथ ही वहां रिटेनिंग वाल , पाथवे और उद्यान भी बनाया जा रहा है। ये सभी कार्य बरसात से पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे। इस हेतु आज ठेकेदार की हिदायत भी दी गई।

प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण गंभीरता से ले ट्रेनिंग- कलेक्टर

- होम वोटिंग की हर प्रक्रिया से कराया अवगत, कहा डाउट होने पर तत्काल प्रश्न पूछे
- होम वोटिंग हेतु गठित मतदान दलों और माइक्रो आब्जवर्स को दिया गया प्रशिक्षण

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल की उपस्थिति में आज कलेक्टोरेट के सृजन सभा कक्ष में होम वोटिंग के संबंध में माइक्रो आब्जर्वर एवं मतदान दलों को ट्रेनिंग दिया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल पोस्टल बैलेट महेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न आधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन की अपेक्षा लोक सभा निर्वाचन में होम वोटिंग करने वाले मतदाताओं की संख्या कम है, लेकिन हर वोट महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले बुजुर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं से हमें शत-प्रतिशत वोटिंग करवाना है। इसके साथ ही निर्वाचन में संलग्न टीम की वोटिंग की गोपनीयता को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, ध्यान रखें कि जिस स्थान को वोटिंग हेतु निर्धारित की जा रही है वहां सीसी टीवी कैमरा, मोबाइल आदि न हो। इसलिए सभी प्रक्रियाओं की अच्छी तरह से जानकारी ले। होम वोटिंग के पूर्व से बीएलओ से समन्वय बनाए रखे ताकि वोटिंग में किसी प्रकार की समस्या न हो।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने वोटिंग की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा डाकमत पत्र से संबंधित वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति को दी जाने वाली सुविधा के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को शामिल किया गया। इसी प्रकार 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति जिसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो तथा जिनके द्वारा नियत समयावधि के भीतर प्रारूप 12 घ में आवेदन किया गया है, उन्हें होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। साथ ही अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को मतदान दिवस के दिन अपने कर्तव्य संलग्नता के कारण मतदान केंद्र पर मतदान करने में सक्षम नहीं है, वे डाकमत पत्र के माध्यम से बनाए गए सुविधा केद्र में जाकर मतदान करेंगे। उन्होंने बताया की टीम में मतदान दल में दो मतदान आधिकारी, एक माइक्रो आब्जर्वर के साथ सुरक्षा बल रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मतदान प्रक्रिया के दौरान आने वाले व्यवहारिक, तकनीकी, मतदान अधिकारियों की जिम्मेदारी तथा प्रक्रिया के दौरान बरते जाने वाली सावधानियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल ने होम वोटिंग के संबंध में उपयोगी आवश्यक सामग्रियों की संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने होम वोटिंग प्रक्रिया में मत पत्र, विभिन्न लिफाफे, मत अंकित करने के लिए कलम, वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थापना के लिए सामग्री, मतदान देने के लिए स्वास्थ्य किट, दृष्टिहीन, शिथिलांग मतदाता द्वारा अन्य व्यक्ति को मतदान हेतु अधिकृत करने संबंधी प्रक्रिया एवं स्टेशनरी संबंधी जानकारी दी।

प्रशिक्षण में पहुंचे कलेक्टर, मतदान प्रक्रिया से संबंधित पूछे प्रश्न- रायगढ़ संसदीय क्षेत्र 02 के मतदान हेतु मतदान दलों का प्रथम जिला स्तरीय प्रशिक्षण में आज कलेक्टर कार्तिकेया गोयल कार्मेल हिन्दी माध्यम विद्यालय पहुंचे। यहां धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 को जिला स्तरीय एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर गोयल ने चल रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए सभी को निर्देशित किया कि बेहतर प्रशिक्षण एवं टीम वर्क आपके कार्य को आसान करेगी। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से मशीन सीलिंग, मशीन रिप्लेस, मॉक पोल, मतदान समय, टेस्ट वोट, चैलेंज वोट जैसे मतदान प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की शंका होने पर तत्काल प्रश्न कर दूर कर लें।

स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षाणार्थियों के स्वास्थ्य जांच हेतु लगाया स्टॉल- प्रशिक्षण केन्द्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के स्वास्थ्य जांच हेतु लगाए गए स्टॉल का कलेक्टर गोयल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपलब्ध दवाईयों एवं स्वास्थ्य जांच की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि मौसम के अनुरूप प्रशिक्षणार्थियों के लिए सभी प्रकार की दवाईयां उपलब्ध है। साथ ही आज 47 प्रशिक्षणार्थियों का बीपी एवं शुगर चेकअप किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पूंजीपथरा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़

पूंजीपथरा पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक सिकन्दर कुमार भारती पिता इन्द्रदेव भारती उम्र 22 वर्ष निवासी तराईमाल थाना पूंजीपथरा को दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।

बालिकी की मां 22 अप्रैल को थाना पूंजीपथरा में आवेदन देकर युवक सिकन्दर कुमार भारती के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी बेटी दिनांक 22/04/2024 के शाम को कॉलोनी के पानी टंकी के पास हाथ पैर धोने गई थी। जहां से युवक उसे अपने कमरे ले गया और उसे डरा धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। प्रार्थीया के लिखित आवेदन पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपित पर अप.क्र. 110/2024 धारा 376,506 आईपीसी 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध कायम कर पीड़ित बालिका से विस्तृत पूछताछ कर कथन लिया गया। नाबालिग बालिका पर घटित महिला संबंधी अपराध को थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये तराईमाल में दबिश दिया गया और आरोपी सिकन्दर कुमार भारती को हिरासत में लिये, जिससे पूछताछ पर उसने जुर्म स्वीकार किया है जिसकी विधिवत गिरफ्तारी कर कल आरोपी को आज ज्यूडिसियल रिमांड लेने न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है।

25 अप्रैल को ग्राम छिन्द में होगा मतदाता कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा निर्वाचन में शत् प्रतिशत मतदान के लिए सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत छिन्द में मतदाता जागरूकता सह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम किया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टरों की टीम उपस्थित रहेंगी, जिसमें सामान्य बीमारियों के जांच सहित दवा वितरण भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्वामी आत्मानंद स्कूल छिन्द परिसर में 25 अप्रैल 2024 को अपरान्ह 3 बजे निर्धारित है। इसमें 60 से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग, तृतीय लिंग समुदाय को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए विशेष कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मतदाता सम्मान, मतदान शपथ, स्वीप तिरंगा यात्रा आदि शामिल हैं। यह कार्यक्रम समाज कल्याण अधिकारी विनय तिवारी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा।

बरगढ़ और सरिया आबकारी टीम की संयुक्त दो कार्यवाही : मदिरा और सामग्री जब्त

सारंगढ़ बिलाईगढ़

लोकसभा निर्वाचन के दौरान सारंगढ़ बिलाईगढ़ और बरगढ़ जिले के टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय आबकारी संयुक्त कार्यवाही की गई। आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता के निर्देश और कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू एवं जिला आबकारी अधिकारी सोनल नेताम के मार्गदर्शन में यह छापामार कार्यवाही की गई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं बरगढ़ जिले के आबकारी की संयुक्त टीम के प्रथम कार्यवाही में बुधवार को ग्राम जलगढ़ के ओडिशा बॉर्डर पर नाला किनारे कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में महुआ मदिरा बनाने की सूचना पर दबिश दी गई। सूचना स्थल में पहुंचकर विधिवत तलाशी लेने पर 65 लीटर महुआ मदिरा एवं 200 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। मौका स्थल पर मदिरा बनाने योग्य महुआ लाहन को विधिवत नष्टीकरण किया गया और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही की जाकर आरोपियों की खोज की जा रही है। इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में बरगढ़ जिले के आबकारी स्टेशन भटली के ग्राम बड़गरहा में संयुक्त टीम द्वारा दबिश देने पर आरोपियों से बीयर सहित अन्य कंपनी के (ओएस लिकर-41 लीटर, बीयर-20.950 लीटर, आईएमएफएल-2.730 लीटर) मदिरा' जप्ती की गई। संयुक्त कार्यवाही में ज़िला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आबकारी टीम में स.जि.आब.अधि. आनंद वर्मा, उपनिरीक्षक हाबिल खलखो, आबकारी आरक्षक गणेश धीरज, मोहनलाल चौहान नगर सैनिक उमा सिदार एवं आबकारी टीम ओडिशा से डिप्टी सुपरिटेंडेंट बरगढ़ बिकाश नायक, इंस्पेक्टर बिकाश टोपनो, सहायक उप निरीक्षक भटली उषाबती, सहायक उप निरीक्षक अताबिरा आरती मिंज, सहायक उप निरीक्षक नंदकिशोर प्रधान का विशेष योगदान रहा।

सावधानी पूर्वक करें ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग का कार्य- कलेक्टर

रायगढ़

बुधवार की दोपहर कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभाकक्ष में सेक्टर ऑफिसर एवं उनके सहयोगी कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के कमीशनिंग का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के कमीशनिंग कार्यों को सावधानीपूर्वक करें एवं प्रशिक्षण में किसी भी तरह की शंका होने पर उसे मास्टर्स ट्रेनर्स से पूछकर समाधान करें।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि मशीनों की कमीशनिंग के दौरान संबंधित हाल में मोबाइल फोन, डिजिटल वॉच सहित किसी भी तरह के इलेक्ट्रानिक गजेट्स ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। कमीशनिंग हाल से किसी भी तरह के कागज सहित सामान अपने साथ लाना भी वर्जित होगा। इन बातों का सभी सेक्टर ऑफिसर और उनके सहयोगी कर्मचारी विशेष ध्यान रखेंगे। इस दौरान उन्होंने मशीनों की एसेंबलिंग तकनीक, चालू करने और बंद करने से लेकर सीलिंग सहित विभिन्न पहलुओं की सुक्षमता से प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने सभी सेक्टर ऑफिसरों को पूर्व में मशीनों में आए संभावित खराबी और उसके समाधान संबंधित सूची सभी सेक्टर ऑफिसर को उपलब्ध कराने की बात कही।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने ईवीएम और वीवीपैट कमिशनिंग के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से ईवीएम मशीनों दूसरा रेण्डमाइजेशन होगा। इसमें मशीनों को मतदान केंद्रों के अनुसार आबंटन किया जाएगा। इसके बाद 26 अप्रैल प्रात: 10 बजे से विधानसभा रायगढ़, खरसिया, लैलूंगा के लिए ईवीएम एवं वीवीपैट की कमीशनिंग केआईटी कालेज में और धरमजयगढ़ विधानसभा का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) धरमजयगढ़ में ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग होगी। इस दौरान उन्होंने सभी सेक्टर ऑफिसर्स को प्रात: 9 बजे तक यथास्थिति केआईटी एवं डाइड धरमजयगढ़ में पहुंचने के निर्देश दिए। कमीशनिंग में किसी भी तरह की लापरवाही होने से सेक्टर ऑफिसर्स के साथ मतदान दलों को परेशानी होगी। किसी भी तरह की गलतियां न हो इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण को अच्छी तरह से आत्मसात करें और मशीनों को चालू करने बंद करने, कनेक्ट करने, सिलिंग करने से लेकर एड्रेस टैग लगाने संबंधित छोटी सी छोटी बातों को ध्यान दे और अपनी डायरी में नोट करें। प्रशिक्षण के दौरान बैलेट यूनिट को खोलने, मतपत्र सेट करने, सिलिंग करने, वीवीपैट में पेपर रोल लगाने, बैटरी लगाने, कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कलेक्ट करने, बीयू की थम सील को 01 पर रखने, बैलेट यूनिट पर पींक सील लगाने, वीवीपैट के लाक और अनलॉक की श्रेणी पर ध्यान देने संबंधित ईवीएम व वीवीपैट मशीन के संपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी पावर पाइंट प्रजेन्टेशन और वीडियो के माध्यम से जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल एवं विकास रंजन सिन्हा द्वारा दी गई। प्रशिक्षण में सभी विधानसभा के सेक्टर ऑफिसर और उनके सहयोगी कर्मचारी उपस्थित थे।

सेक्टर अधिकारियों को दिए गए जरूरी निर्देश

कलेक्टर गोयल ने कहा कि सभी सेक्टर ऑफिसर अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। विधानसभा के दौरान कम वोटिंग प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों पर वोटर पर्ची बांटने के कार्यों की अनुपातिक जांच करने के निर्देश दिए। इसी तरह सभी सेक्टर ऑफिसर को उनके क्षेत्रों के भौगोलिक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से जानने और उसके हिसाब से अपने रहने के स्थान चयन करने एवं मतदान के दिन समय-सीमा में मशीनों को बदलने की कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही।

प्राथमिक शाला कोसमंदा में समर कैंप आयोजित

रायगढ़

विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार पटेल, विकास खंड स्त्रोत समन्वयक शैलेन्द्र मिश्रा एवं संकुल शैक्षिक समन्वयक श्रवण कुमार साव के मार्गदर्शन में विकास खंड पुसौर के पंचपारा संकुल के शासकीय प्राथमिक विद्यालय कोसमंदा में 9 से 23 तक अप्रैल तक समर कैंप के रूप में विविध कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित की गई। जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से शैक्षणिक और व्यवसायिक गतिविधियां शामिल थे। पठन, लेखन, कहानी निर्माण, मुखौटा निर्माण सह अभिनय के साथ आर्ट एवं क्राफ्ट, दोना पत्तल बनाना, कमीज में बटन लगाना आदि गतिविधियां आयोजित की गई। दस दिवसीय समर कैंप से हो रहे लाभ को पालकों ने देखा और सराहा एवं शाला समिति के अध्यक्ष अक्षय यादव ने प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे विद्यालय में कई प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां प्रधान पाठक रंजिता महाणा, शिक्षिका सरोजिनी सिदार व सुजाता गुप्ता द्वारा आयोजित की जाती हैं साथ ही इस समर कैंप में बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा भी दिया गया जो की प्रशंसनीय है।

वोटरों को वोट देने के लिए लगातार प्रेरित करें बीएलओ : कलेक्टर धर्मेश साहू

सारंगढ़-बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने लोकसभा निर्वाचन के 7 मई के मतदान को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग प्रमुख को बीएलओ के माध्यम से समन्वय कर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए कहा। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी बीएलओ अपने क्षेत्र के वोटरों को वोट देने के लिए लगातार प्रेरित करें। इसके पश्चात कलेक्टर ने विभागवार लंबित प्रकरणों एवं आवेदनों की समीक्षा की एवं तय समय सीमा में उसका निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में समय सीमा में लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कृषि विभाग अंतर्गत मिट्टी नमूना जांच, फसल चक्र परिवर्तन के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को शासकीय दफ्तरों के संबंध में विद्युत वितरण संबंधी आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर सूचित करने के लिए कहा। इसके पश्चात सारंगढ़ के मंडी समितियों के प्रबंधन के संबंध में प्राप्त शिकायत को लेकर उचित कार्यवाही करने के लिए कहा। कलेक्टर ने सभी कोर्ट के माध्यम से राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी को निर्देशित करते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए कहा। इसके अलावा पुलिस विभाग एवं जनपद सीईओ के लंबित आवेदनों का त्वरित निराकरण हेतु निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम द्वय वासु जैन, डॉ स्निग्धा तिवारी, परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान, डिप्टी कलेक्टर द्वय अनिकेत साहू, वर्षा बंसल सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

संपत्ति विरूपण में प्रत्याशी नहीं मिटाएं तो, वह प्रत्याशी के खर्च में शामिल होगा: सामान्य प्रेक्षक सौरभ स्वामी

सारंगढ़ बिलाईगढ़

जांजगीर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक सौरभ स्वामी सारंगढ़ के दौरे पर रहे। सामान्य प्रेक्षक स्वामी ने कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू, एसपी पुष्कर शर्मा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वय वासु जैन, डॉ. स्निग्धा तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू ,डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल से कलेक्टर कक्ष में मुलाकात किया। सामान्य प्रेक्षक सौरभ स्वामी ने कहा कि जहां-जहां एसएसटी, वीएसटी, एफएसटी आदि पाली-पाली से ड्यूटी कर रहें हैं वे ड्यूटी के शुरूआत और अंतिम समय अपना सामूहिक फोटो शेयर नियंत्रण अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि सभी का पाली-पाली अनुसार ही ड्यूटी होना चाहिए। सामान्य प्रेक्षक सौरभ स्वामी ने रिटर्निंग अधिकारी वासु जैन को कहा कि जिले में संपत्ति विरूपण अंतर्गत दीवालों पर 3 बाई 2 के साइज का पेंटिंग और 1 बाइ 2 साइज का झंडा सहमति से है तब ठीक है। उल्लंघन के मामले में प्रत्याशी को नोटिस दें कि वे या तो खुद निर्धारित स्थान से स्वयं मिटा दे, नहीं तो निर्वाचन कार्यालय से मिटाने पर प्रत्याशी के खाते में खर्च जुड़ेगा। इसी प्रकार स्वामी ने कहा कि ग्राम पंचायत और शहर के वार्ड स्तर से आदर्श आचरण संहिता मुक्त क्षेत्र का एनओसी प्राप्त करें और कहीं कोई आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो तो कार्यवाही करें। बैठक में जिले के कुल जनसंख्या, महिला-पुरूष मतदाता, दिव्यांग का होम वोटिंग, डाकमत से वोटिंग, मतदान केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति, मतदान दल, जांच चौकियों में ड्यूटी, मतदान दल की रवानगी, वापसी, सामग्री संग्रहण, एमसीएमसी, आदर्श आचरण संहिता आदि के संबंध में समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रेक्षक सौरभ स्वामी राजस्थान कैडर के 2015 बैच के आईएएस हैं। इस अवसर पर सभी नोडल अधिकारी एवं उनके सहयोगी सहित मास्टर ट्रेनर उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480